REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243824 CG-DL-E-23022023-243824

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944No. 830]NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 फरवरी, 2023

का.आ. 864(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 531 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

राज्यम्			
क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	
(1)	(2)	(3)	
531	701ए	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य में बारामूला के निकट रारा-1 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर तनमर्ग, बाटाकोट को जोड़ने वाला और तनमर्ग के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गुलमर्ग पर समाप्त होने वाले स्पर सहित चांदक कलाई पुल (चांदक) के निकट	
		रारा-144ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	

[फा. सं. एनएच-14012/19/2022-पी एण्ड एम]

अभय जैन, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 5572(अ), दिनांकित 1 दिसंबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2023

S.O. 864(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 531 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
531	701A	The highway starting from its junction with NH-1 near Baramula connecting <i>Tanmarg, Batakot and terminating at its junction with NH-144A near Chandak Kalai Bridge (Chandak)</i> and including spur starting from its junction near Tanmarg and terminating at Gulmarg in the UT of Jammu and Kashmir.

TABLE

[F. No. NH-14012/19/2022-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 5572(E), dated 1st December, 2022.